

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अह नाम की तारीख
शांति..... बनाम..... मु.नं. 54/24 (7.5) विशाल लाल	
13-12-24	<p>पत्रावली पेश हुई। अलिभाषको के चुनाव 2024 में लकी अलिभाषको के व्यस्तता के कारण अलिभाषको द्वारा व्यापिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रमाणित (दिनांक 17.1.25) को पेश है।</p>	
17.1.25	<p>कापली पेश हुई। प्रार्थी मय प्रार्थी प्राधिकृत अनुसूचित रहे। पत्रकारान को धार 2 भाषाज दिल्ली गई। उभय पक्ष अनुसूचित रहे। वकील प्रार्थी द्वारा आदिनांक तब अप्प्राधीकरण के सम्मन तल्लाना करिये Regd AD पेश मही सिमे गये है। प्रार्थी को धार-2 सिरेक्षित करने के आवश्क भी निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। रसाबिल कापली में आश्रीम अर्थवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः कापली आदेश 9 स्थित 2 CPC (जहां सम्मनों की लगील, खर्चे इन में वादी के अक्षफल रहने के परिणाम स्वरूप बची हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों का प्रयोग करके खारिज की जाती है। साथ ही प्रार्थना का में दिनांक 14.0.24 को जारी अन्तरिम प्रस्थाई निषेधाज्ञा के प्रथम प्रथम को समाप्त किया जाता है। कापली कैसल शुमार होकर डाखिल प्रथम है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)